हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 19/2022 पूनमाराम वगै. बनाम कोजाराम वगै	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 12.09.2023

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री देवीसिंह महेचा
2. विप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता चेलाराम कुमावत

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील प्रार्थी अपीलांट द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक दिनांक 29.06.2022 को न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.08.2022 को उक्त अपील को पुनः बरामद करने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सी पी सी का प्रस्तुत किया था। वकील अपीलांटस श्री देवीसिंह जी अपने नीजि कार्य से कही बाहर चले गये तथा अदालत हाजा में उपस्थित नहीं आये थे, इस कारण वकील अपीलांटगण की अनुपस्थिति के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। न्यायालय मूल अपील को पुनः बरामद करते है तो कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। हस्तगत आवदेन अपील को पुनः बरामद करने हेतु प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर